न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	रजि0 नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/113/2019	2019/00215	10.10.2019	07.06.2022

—::उनवान::—

1. भूपसिंह पुत्र प्रभाती जाति अहीर निवासी ग्राम लोधाड़ी तहसील व जिला अलवर राज0।
2. जोरावर सिंह पुत्र चिरंजीलाल जाति अहीर निवासी ग्राम नंगली मुंशी तहसील व जिला अलवर राज0।

—अपीलान्ट्स

बनाम

1. श्रीमती केशवन्ती देवी पत्नी रामचन्दर जाति जाटव
2. रामचन्दर पुत्र स्व0 खैरातीलाल जाति जाटव निवासीयान ग्राम दिवाकरी तहसील व जिला अलवर राज0।
3. राज सरकार जरिये तहसीलदार अलवर जिला अलवर राज0।

—रैस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्ध आदेश तहसीलदार अलवर का निर्णय दिनांक 26.08.2019 प्रकरण संख्या 02/2018 अन्तर्गत धारा 183 बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितः—

01. श्री चन्द्रभान शर्मा —वकील अपीलान्ट्स
02. श्री गोकुल चन्द सैनी —वकील रैस्पो0 सं0 1 व 2

——:: निर्णय ::——

अपीलान्ट्स ने यह अपील तहसीलदार अलवर के आदेश दिनांक 26.08.2019 जिसके द्वारा रेस्पो0 सं0 1 व 2 द्वारा पेश प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 183 बी राज0 का0 अधि0 1955 को स्वीकार किया गया है, से व्यथित होकर पेश की है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पौ0 को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया। अपील अपीलांट की बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलान्ट्स ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि तहसीलदार अलवर द्वारा उक्त विवादित निर्णय पारित किया है। रैस्पो0 के द्वारा रंजिशवश अपीलांट्स के विरूद्ध प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 183 बी राज0 का0 अधि0 1955 उनवान केशवन्ती देवी वगै0 बनाम भूपसिंह वगै0 आराजी खसरा नम्बर 1105 रकबा 0.22 है0 वाके ग्रम लोधाड़ी तहसील व जिला अलवर अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया। विवादित आराजी से अपीलांट्स का कोई वास्ता नहीं है ना ही मौके पर कब्जा है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट्स द्वारा उप0 होकर जरिये अधिवक्ता जवाब पेश किया तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 22.07.2019 की हल्का पटवारी से मौका रिपोर्ट प्राप्त की गयी। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रैस्पो0 के कथनों पर विश्वास करते हुए विधिक न्याय के विरूद्ध/विपरित प्रस्तुत साक्ष्य पर गौर किये बिना आलौच्य निर्णय पारित कर दिया गया। जिसे स्वीकार कर आदेश दिया गया कि ग्रम लोधाड़ी के हाल खसरा नम्बा 1105 रकबा 0.22 है0 किस्म बारानी उत्तम जो वर्तमान जमाबंदी में अप्रार्थी सं0 1, व 2 की खातेदारी में दर्ज है, पर अतिक्रमी अपीलांट्स द्वारा किये गये अवैध कब्जे को मौके

जिला कलक्टर, अलवर

से बेदखल किया जावें। अतिक्रमी अपीलांट्स के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 183 ख अनुसार लगान 2.64 रू0 का पचास गुणा 132/–रू0 शास्ति आरोपित की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की आड़ में राजस्व विभाग के कर्मचारी/अधिकारी अपीलांट्स अतिक्रमियों से कायम शास्ति वसूलने हेतु अमादा है। अपीलांट्स अतिक्रमी नहीं है ना ही विवादित आराजी से कोई वास्ता है ना मौके पर कब्जा है और ना ही पूर्व में कभी कब्जा रहा। अपीलांट्स द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में एक प्रा0पत्र दिनांक 25.02.2019 को पेश किया गया। अपीलांट्स की आराजी ख0 नं0 1104 व 1106 जिनके मिन नम्बर 938 वाके ग्राम लोधाडी से लगती हुई रैस्पो0 की विवादित आराजी ख0 नं0 1105 रकबा 0.22 है0 जिसके गत ख0 नं0 793 मिन वाके लोधाडी की आड में अपीलांट्स की आराजी पर जबरन कब्जा करने की जूस्तजू में होने के कारण लगातार अपने खेत की डोल को काट कर अपीलांट्स ख0नं0 1104 व 1106 में मिलाना चाहते है जबकि अपीलांट्स द्वारा रैस्पो0 की एक इंच की आराजी पर भी ना तो पूर्व में कब्जा रहा है ना ही वर्तमान में है। अगर कब्जा आदि का अंदेशा है तो अपीलांट्स की आराजी व रैस्पो0 की आराजी पर पत्थरगढी करवायी जाकर दोनों पक्षकारान् के कब्जा अनुसार कब्जा बहाल रखा जाना न्यायोचित है। पटवारी हल्का द्वारा अपनी रिपोर्ट में अपीलांट्स का अतिक्रमी होना बाबत नहीं लिखा है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार अलवर का आदेश दिनांक 26.08.2019 को अपास्त फरमावें।

विद्वान वकील रैस्पो0 सं0 1 व 2 ने अपनी बहस में निवेदन किया कि विवादिज आराजी राजस्व रिकॉर्ड में हमारी खातेदारी की आराजी है। हम लगान अदा करते चले आ रहे है। अपना व अपने आश्रितों का जीवन निर्वाह करते है। अपीलांट ने लट्ठ के बल पर दिनांक 15.09.2018 को ट्रेक्टर से विवादित आराजी की जुताई कर दी। विवादित आराजी पर अपीलांट्स द्वारा बराबर–बराबर हिस्सा अनाधिकृत कब्जा कर रैस्पो0 को बेदखल कर दिया। जबकि अपीलांट्स का उक्त आराजी से कोई संबंध व सरोकार नहीं है। अगर विवादित आराजी का कब्जा रैस्पो0 को नहीं दिलाया गया तो हम व हमारा परिवार भूखा मर जावेगा। अतः अपील अपीलाट्स खारिज फरमायी जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। बहस वकील अपीलांट्स व रैस्पो0 सं0 1 व 2 एवं पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन व मनन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि वर्तमान में विवादित आराजी खसरा नम्बर 1105 रकबा 0.22 है0 किस्म बारानी उत्तम रैस्पो0 सं0 1 व 2 के नाम खातेदारी दर्ज रिकॉर्ड है अर्थात रैस्पो0 अनुसूचित जाति के सदस्य होकर खातेदार दर्ज है। अधीनस्थ न्यायालय में पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 22.07.2019 के अनुसार उभय पक्ष की उपस्थिति में सीमाज्ञान करवाया गया है। अपीलांट्स अन्य जाति अहीर का बिना अधिकार के विवादित आराजी पर कब्जा है। जो कि अतिक्रमी की श्रेणी में आता है। अपील अपीलांट्स खारिज किये जाने योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट्स खारिज की जाती है। तहसीलदार अलवर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.08.2019 को यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति अधिनस्थ न्यायालय को उनके रिकॉर्ड सहित पालनार्थ भिजवायी जावें। इस न्यायालय की पत्रावली बाद तकमील दफ्तर दाखिल हों।

निर्णय आज दिनांक 07.06.2022 को अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिव प्रसाद नकाते)
जिला कलक्टर अलवर
(राजस्थान)

जिला कलक्टर, अलवर